

प्रेस- विज्ञप्तिथाना कोतवालीदुष्कर्म का वांछित आरोपी गिरफ्तार

वादिनी मुकदमा द्वारा थाना कोतवाली आजमगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कराया गया कि अभिषेक कुमार भारती उर्फ मोनू पुत्र अवधेश कुमार भारती साकिन फरिन्दा , थाना कन्धरापुर, आजमगढ़ हाल पता बलरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ जो कि मेरे दूर का रिश्तेदार है उसके द्वारा वादिनी से शादी करने की बात कहकर उसके साथ गलत काम किया है और अब विवाह करने से इनकार कर रहा है। विवेचना उ०नि० कमल नयन दूबे चौकी प्रभारी बलरामपुर आजमगढ़ द्वारा की जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय के कुशल पर्वेक्षण व प्र०नि० के.के. गुप्ता के नेतृत्व में उ.नि. कमल नयन दूबे चौकी प्रभारी बलरामपुर थाना कोतवाली मय हमराह टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अभिषेक कुमार भारती उर्फ मोनू पुत्र अवधेश कुमार भारती साकिन फरिन्दा, थाना कन्धरापुर, आजमगढ़ हाल पता बलरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ को हाफिजपुर चौराहा से बैठौली जाने वाली सडक के पास से आज दिनांक समय करीब 10.40 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

अभिषेक कुमार भारती उर्फ मोनू पुत्र अवधेश कुमार भारती साकिन फरिन्दा , थाना कन्धरापुर, आजमगढ़ हाल पता बलरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ़

अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं०-200/21 धारा 376 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ.नि. कमल नयन दूबे चौकी प्रभारी बलरामपुर कोतवाली
2. हे.का. महेन्द्र यादव थाना कोतवाली आजमगढ़
3. का. अरुण पाण्डेय थाना कोतवाली आजमगढ़
4. का. संगम कुमार थाना कोतवाली आजमगढ़